प्रेषक,

प्रधानाचार्य,
राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान,
अतरौली (अलीगढ़)

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ0प्र0,
गुरू गोविन्द सिंह मार्ग, रोजगार भवन,
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

पत्रांक :– भण्डार / नीलामी / 2016 / 393 – 395 दिनांक :– 16.05.2016

विषय :– निष्प्रयोज्य सामानों की नीलामी की सूचना शासकीय वेबसाइट पर प्रसारित कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि इस संस्थान में अनुपयोगी साज–सज्जा / मशीन / फर्नीचर / स्क्रैप आदि की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 31.05.2016 की अपरान्ह 12 बजे होना निर्धारित है। जिसकी विज्ञप्ति स्थानीय राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी गयी है।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि संलग्नक नीलामी सूचना को निदेशालय की वेबसाइट पर प्रकाशित / प्रसारित कराने की कृपा करें। ताकि अधिक से अधिक क्रेताओं द्वारा भाग लिया जा सके।

संलग्नक – उक्तानुसार (सी0डी0सहित)।

भवदीय

(डी0वी0सिंह)
प्रधानाचार्य

प्रतिलिपि :– 1– नेशनल इन्फॉर्मेशन सैन्टर अलीगढ़ को इस निवेदन के साथ कि संलग्न नीलामी सूचना को राजकीय वेबसाइट पर प्रकाशित / प्रसारित कराने की कृपा करें।
2– निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0, परिसर राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) को सूचनार्थ प्रेषित।
3 – संयुक्त निदेशक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़, को सूचनार्थ प्रेषित।

(डी0वी0सिंह)
प्रधानाचार्य
राज0औधो0प्रशि0संस्थान,
अतरौली (अलीगढ़)

कार्यालय–प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अतरौली (अलीगढ़)

नीलामी–सूचना दिनांक :– 16.05.2016

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान में अनुपयोगी साज–सज्जा/मशीन/फर्नीचर/स्क्रैप आदि जहाँ हैं जिस स्थिति में हैं कि सार्वजनिक नीलामी संस्थान प्रांगण में दिनांक – 31.05.2016 की अपरान्ह 12:00 बजे निर्धारित शर्तों के अधीन की जायेगी।

इच्छुक क्रेता किसी भी कार्यदिवस में संस्थान में स्वयं के व्यय पर पधार कर सामान देख सकते हैं, तथा शर्तों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

शर्तें निम्नवत हैं :–

1 – नीलामी की वस्तुओं की बोली लगाने से पूर्व (विडर) क्रेता को शासकीय बोली का 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि संस्थान के कैशियर/भण्डारी के पास नकद जमा कराना होगा। धनराशि जमा कराने के पश्चात ही क्रेता नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकता है।

2 – उच्चतम नीलामी बोली पूर्ण होने के पश्चात कुल नीलामी बोली का 1/4 भाग (25 प्रतिशत) धनराशि संस्थान के कैशियर के पास तत्काल जमा कराना होगा। न जमा कराने की स्थिति में 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

3 – उच्चतम नीलामी बोली का 3/4 (75 प्रतिशत) धनराशि+बिक्रीकर नीलामी प्रक्रिया का निदेशक महोदय से अनुमोदन प्राप्त होने के दस दिन के भीतर संस्थान में नकद जमा कराना होगा।

4 – निदेशक महोदय से अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात 10 दिन के भीतर 75 प्रतिशत धनराशि+बिक्रीकर न जमा करने की स्थिति में पूर्व में जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

5 – नीलामी की वस्तुओं को विलम्बतम 10 दिन के भीतर संस्थान के भण्डार से स्वयं के व्यय पर उठाना होगा। 10 दिन के भीतर न उठाने की दशा में निर्धारित दर से भण्डार के कक्षों का किराया वसूला जायेगा।

6 – कुल नीलामी बोली के अतिरिक्त नियमानुसार बिक्री कर अलग वसूला जायेगा।

7 – समस्त नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष/अधोहस्ताक्षरी को निहित होगा। उक्त के सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8 – समस्त विवाद का न्याय क्षेत्र अलीगढ़ होगा।

प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
अतरौली (अलीगढ़)